न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 11/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/59

अपीलाण्ट :–

लखमीचन्द पुत्र श्री जेठमल जाति जैन निवासी – 702, शुभकर हाउसिंग सोसायटी, संतोषी माता रोड़ कल्याण वेस्ट, (महाराष्ट्र)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. केवलचन्द पुत्र श्री जेठमल जाति जैन निवासी – डी–6, न्यू हाउसिंग बोर्ड, पाली
2. अमृतलाल पुत्र श्री जेठमल के वारिशान
   2/1. बबीता जैन पत्नी स्व. श्री अमृतलाल जैन
   2/2. अक्षय जैन पुत्र स्व. श्री अमृतलाल जैन
   2/3. मेघना जैन पुत्री स्व. श्री अमृतलाल जैन समस्त निवासीगण जोधपुर ठिकाणा 54, श्री कृष्णानगर सुपर स्पेशियलिस्ट हॉस्पिटल, अशोक उद्यान, पाल रोड, जोधपुर।
3. धनराज पुत्र श्री जेठमलजी, जाति जैन निवासी – 85, सुभाष नगर, पाल रोड़, जोधपुर
4. शांतिलाल पुत्र श्री जेठमलजी के कायम मुकाम
   4/1. शालीन पुत्र स्व. शान्ति लाल निवासी – 123, लोढा वहलियावाड़ शॉपिंग मॉल, मासिवाडा फ्लाई ओवर के पास, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ठाणे, वेस्ट महाराष्ट्र
5. अनिता पुत्री चम्पालाल जी जाति जैन
6. छोटी पुत्री श्री चम्पालालजी जाति जैन
7. काजू देवी पुत्री श्री चम्पालालजी जाति जैन
8. बबीता पुत्री श्री चम्पालालजी जाति जैन
9. संतोष पुत्री श्री चम्पालाल जाति जैन
10. अशोक पुत्र श्री चम्पालालजी जाति जैन
11. गौतमचंद उर्फ गुमानमल पुत्र श्री चम्पालालजी जाति जैन, समस्त निवासीगण रेल्वे स्टेशन रोहट जिला पाली (राज.)
12. सोहनलाल पुत्र श्री नाहरमलजी जाति जैन निवासी – 6–ए–1 पार्वती नगर, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, जोधपुर
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव
रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 14.07.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम सिणगारी तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 04.04.2023 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत एवं श्री सुधीर कांकाणी वक्त बहस उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्टस बाद तामिल न्यायालय समय में बार—बार आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी संवत् 2063 से 2077 में दर्ज खातेदारों के हिस्से का शुद्धीकरण का नामान्तरकरण का आदेश खाते में रकबा का बदलाव किया गया तथा इस नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट का हिस्सा 55/2814 तथा रेस्पोडेण्ट शांतिलाल का हिस्सा 55/2814 हिस्सा दर्ज किया गया तथा इसी प्रकार अपीलाण्ट का भाई केवलचंद का हिस्सा 211/2814 तथा धनराज का हिस्सा 116/1407 वां हिस्सा तथा धनराज जेठमल को हस्तीमल का वारिश बताकर 19/402 वां हिस्सा दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 10 स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को नोटिस नही दिया गया, सुनवाई का अवसर नही दिया गया व क्षैत्राधिकार विहिन नामान्तरकरण जैर अपील पारित कर दिया। जेठमल के अपीलाण्ट सहित पांच पुत्र है जो धनराज अपीलाण्ट लखमीचन्द, केवलचंद, अमृतलाल व शान्तिलाल है व उत्तराधिकारी की हैसियत से जेठमल की सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा कानूनन रहता है परन्तु रेवेन्यू रेकर्ड में गलत नाम दर्ज रहा तथा केवलचन्द के खाते में व धनराज के खाते में ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी। इसी प्रकार कानमल का 1/4 हिस्सा कृषि भूमि का था, जो नाहरमल की 1/4 हिस्सा प्राप्त करना था तथा सोहनलाल, नाहरमल के गोद चला गया तो इसका हिस्सा भी 1/4 दर्ज होना था जबकि जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया इस कारण से इस कृषि भूमि बाबत् शान्तिलाल द्वारा सहायक कलक्टर रोहट में बअनवान शांतिलाल बनाम सोहनलाल का वाद पेश किया गया, जिसके वाद संख्या

जिला कलेक्टर, पाली
(मुहर: न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान))

14/2018 तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 198/18 है। इस अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र में दिनांक 05.06.2018 को स्थगन आदेश पारित कर रेकर्ड का आदेश पारित किया गया। उक्त वाद में तहसीलदार भी प्रतिवादी है, बावजूद पक्षकार रहने से जानकारी होने पर भी आदेश की अवहेलना कर नामान्तरकरण संख्या 10 स्वीकृत कर दिया गया, जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है। इस वाद के अनुसार खसरा संख्या 80 नया खसरा संख्या के पुराने खसरा संख्या 93, 98, 100, 102, 103 थे, जिसमें नाहरमल का 1/4 हिस्सा जेठमल, चम्पालाल प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था व सागर की 1/4 हिस्सा था व सागर का हिस्सा बाद हस्तान्तरण के व काश्त के जेठमल व चम्पालाल में निहित हो गया जो 3/4 हिस्सा था, इसी प्रकार नया खसरा नम्बर 17 के पुराने खसरा संख्या 25, 25/442, 14, 36 थे तथा उक्त भूमि 69 बीघा 3 बिस्वा है, उक्त सम्पूर्ण भूमि जेठमल के नाम की थी, परन्तु इसमें भी चम्पालाल, हस्तीमल व नाहरमल का नाम दर्ज कर दिया गया तथा नया खसरा संख्या 78 पुराने खसरा संख्या 298/446 थी, जो जेठमल के अकेले के नाम की थी तथा खसरा संख्या 267 पुराने खसरा संख्या 421 के अनुसार उक्त भूमि जेठमल, नाहरमल, चम्पालाल पुत्र श्री शेषमल की थी, परन्तु नाहरमल गोद चला गया, इसलिए खसरा संख्या 267 की भूमि जेठमल व चम्पालाल की रही, परन्तु इस नये खसर के नाहरमल का भी नाम दर्ज कर दिया गया, इन तमाम गलत एन्ट्री को दुरूस्त करवाने का घोषणा का वाद भी पेश किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 25 के जरिये केवलचन्द का नाम अधिक भूमि में दर्ज हुआ तथा धनराज का नाम भी अधिक भूमि में दर्ज हो गया। धनराज द्वारा जेठमल का पुत्र बताकर जेठमल की सत्पत्ति में हिस्सा प्राप्त किया तथा हस्तीमल का पुत्र होकर भी हस्तीमल का सम्पूर्ण सम्पत्ति की एक व्यक्ति पिता व जायन्दा पिता दोनों से हक प्राप्त नही कर सकता है परन्तु तहसीलदार द्वारा वाद को निष्फल करने की नियत से दिनांक 04.04.2023 को नामान्तरकरण संख्या 10 स्वीकृत कर हिस्से में बदलाव कर दिया। उक्त नामान्तरकरण वक्त स्वीकृत किये जाने शांतिलाल व अमृतलाल पुत्रगण जेठमल जीवित नही था तथा इनके वारिशों को इस बाबत् कोई सूचना नही दी गई थी तथा स्वयं वाद में पक्षकार रहते हुए भी केवलचंद व धनराज को वाद की जानकारी रहते हुए तथा स्थगन आदेश होने के बावजूद न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर उक्त जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण खारिज फरमावे।

कार्यालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकण संख्या 10 दिनांक 04.04.2023 की जानकारी दिनांक 10.10.2023 को हो चुकी थी एवं नामान्तरकरण न्याय संगत पारित नहीं होने की अवस्था में उक्त आदेश की अपील अन्दर मियाद श्रीमान के

न्यायालय में करनी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी को उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी 1 वर्ष 21 दिन के बाद दिनांक 06.05.2024 को बाद मियाद गुजरने बाद पेश की है अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह उज्र किया कि प्रार्थी को दिनांक 04.04.2023 को नामान्तरकरण स्वीकार होने की जानकारी नहीं थी लेकिन म्याद अधिनियम के पैरा संख्या एक में प्रार्थी स्वयं कथन कर रहा है कि भाई केवलचन्द द्वारा जानकारी दिये जाने के उपरान्त दिनांक 15.04.2023 को नकल प्राप्त की एवं आवश्यक काम से बोम्बे चला गया अर्थात प्रार्थी को दिनांक 15.04.2023 को जानकारी होने के उपरान्त भी प्रार्थी जानबूझकर अनभिज्ञ बनने का प्रयास कर रहा है। प्रार्थी को समस्त तथ्यों की जानकारी होने एवं दिनांक 15.04.2024 को हल्का पटवारी से नकल लेने के उपरान्त जानबूझकर बोम्बे गया है एवं बोम्बे जाने के उपरान्त ऐसा कोई स्वास्थ्य कारण जिससे प्रार्थी का जीवन जोखिम में पड़ गया हो या ऐसा कोई प्राणघातक या जोखिम पूर्ण कारण नहीं बताया है जिसके कारण उनका आना असंभव हो गया हो। अतः जैर अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमावे।

जैर प्रकरण में हम सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पर विवेचन करना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे प्रकरण से संबंधित नकले दिनांक 15.04.2023 को प्राप्त हुई है, तत्पश्चात अपीलाण्ट अपने आवश्यक कार्य से मुम्बई चला गया व वहां से वापस दिनांक 05.05.2024 को पाली आये व अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर आज श्रीमान के न्यायालय में जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। क्षेत्राधिकार विहीन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो शून्य है।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 के अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा किये गये कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील जानकारी होने के 01 वर्ष 21 दिन की लम्बी अवधि के बाद दिनांक 06.05.2024 को प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी ने जान–बूझकर विलम्ब किया है तथा नकले लेने के बाद मुम्बई गये है तथा उक्त विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है, जिसके कारण उक्त अपील को ग्राहय किया जा सके। रेस्पो. संख्या 01 द्वारा मियाद क्षम्य नहीं किये जाने के लिए RLW (RJ) 2008 (2) 945 para no 10, RLW (Raj) 2000 (1) page no 256 and RLW (RJ) 2009 (1) page no 201 उपरोक्त न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 पर उभयपक्षों द्वारा किये गये कथनोपकथन का अवलोकन किया गया तथा मनन किया तो पाया कि अपीलाण्ट स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसे नकल दिनांक 15.04.2023 को प्राप्त कर ली थी परन्तु उसके बाद उसका कथन यह है कि वह मुम्बई चला गया तथा 01 वर्ष

जिला कलेक्टर, पाली

21 दिन बाद उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने की मियाद के स्थान पर 01 वर्ष 21 दिन की मियाद कण्डोन किये जाने के लिए उसके द्वारा कोई पर्याप्त एवं औचित्यपूर्ण कारण नहीं बताया गया तथा रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के संदर्भ में इस अपील में मियाद क्षम्य किये जाने के कोई तर्कसंगत, विधिक एवं ठोस कारण नहीं बताया गया। अतः उक्त अपील में मियाद कण्डोन नहीं की जा सकती। लिहाजा जैर अपील बेरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **14.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली